न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–259/15

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्योलाराम पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 12.08.2015 (प्रकरण संख्या 6/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन कियां है कि वाके ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 59, 60, 71, 101, 103 लगायत 107, 118, 119, 129, 127, 128, 130/436, 136, 250, 251, 252, 254 लगायत 261, 265, 267, 269, 270, 274, 275, 326 लगायत 329, 341, 352/452, 356 लगायत 361 362/453, 364/454, 365, 366, 384 लगायत 387, 397 एवं 398 कुल किता 56 कुल रकबा 48.53 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 54, 55, 56, 56/433, 139, 140, 142 कुल किता 7 कुल रकबा 3.50 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार रामाकिशन उर्फ रामकिशना पुत्र चन्दा थे, रामकिशन के चार पुत्र कल्याण (अपीलान्ट के पिता) भैरूराम, मोहरू, लालाराम एवं चार पुत्रिया मन्नी, धन्नी केशर छोटा थे जिसमें रेस्पोडेन्ट के पिता मोहरू रामकिशन के भाई रामकुंवार के गोद चला गया, मोहरू रामकुंवार का बहैसियत गोद पुत्र चला आ रहा है, रामकुंवार के स्वर्गवास पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 27.05.1960 को दत्तक पुत्र मोहरू के नाम स्वीकृत हुआ, मोहरू ने अपने जायन्दा पिता रामकिशन के स्वर्गवास पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 12.06.1963 को अपने हक में स्वीकृत करवा लिया मोहरू ने अपने पिता की खातेदारी की भूमि में भी विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली तथा प्राकृतिक पिता की खातेदारी में भी विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो कि क्षेत्राधिकार विहिन

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

होने के कारण प्रभावशुन्य है, इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोहरू के नाम दर्ज खातेदारी विवादग्रस्त है जिसके बाबत नियमित वाद संख्या 122/2014 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम लादूराम घोषणा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन था जिसमें रेस्पोडेन्ट उपस्थित था, उक्त तमाम तथ्यों के बावजूद मोहरू की विरासत नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 29.12.2014 स्वीकृत करवा लिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकुल अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।,

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं जिला कलक्टर जयपुर ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स एवं आर्बीट्रेरी निर्णय पारित किया है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 29.12.2014 नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुऐ अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अधिकार देते हुए स्वीकृति किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्या स्पष्ट था कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में स्वीकृत किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, उक्त अहम कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टरा जयपुर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण में कानूनी त्रुटि नही होना मानकर अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि कारित की है, इसलिये नामान्तरकरण संख्या 129 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2015 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय पर अपीलान्ट के पिता कल्याण को दूसरी जगह गोद चला जाना अंकित किया है तथा कल्याण के नाम जगन्नाथ की विरासत होना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट के पिता कल्याण किसी के गोद नही गये बल्कि बल्दीयत गलत दर्ज होने से गोद जाना अभिकथित नही किया जा सकता है, नामान्तरकरण संख्या 10 की पुश्त से यह भी प्रमाणित नही होता है कि जगन्नाथ की खातेदारी की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण कल्याण के नाम तस्दीक हुआ हो, इस प्रकार बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता कल्याण के नाम जगन्नाथ की विरासत दर्ज होने का कथन अपने निर्णय में अंकित किया है, जो कि महज रेस्पोडेन्ट को बैजा लाभ पहुँचाने की गरज से अंकित किया है, इस प्रकार अपीलीय न्यायालाय का निर्णय दिनांक 12.08.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 29.12.2014 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मोहरू की विरासत में अपीलान्ट का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होना अंकित किया गया है जबकि मोहरू के नाम खातेदारी भूमि दो अलग वल्दियत मोहरू पिता मु. रामकुंवार, मोहरू पुत्र रामकिशन के आधार पर जो

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज नम्बर 4 में सूरजमल एवं ऑवरराईटिंग में लक्ष्मीनारायाण के पिता को दूसरी जगह गोद के चले जाने और जगन्नाथ की विरासत का इन्द्राज होने के आधार पर अपील खारिज की गई, अधीनस्थ जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में दिये गये अभिमत से स्पष्ट है कि उनके मत में गोद चले जाने के बाद कोई हक व अधिकार जायन्दा पिता की सम्पत्ति में नही रहता लेकिन अपने उक्त विवेचन के बावजूद मोहरू की विरासत का नामान्तरकरण को यथावत रखने में अहम कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2015 के पृष्ठ संख्या 4 दो प्रतियों में किया गया है, पृष्ठ संख्या 4 की द्वितीय प्रति में सूरजमल के स्थान पर ओवरराईटिंग लक्ष्मीनारायण अंकित है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है और ना ही निर्णय में संशोधन बाबत प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को बेजा लाभ पहुॅचाने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो किसी भी अवस्था में यथावत कायम किये जाने योग्य नही है बल्कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर के लिऐ यह आवश्यक था कि हिन्दु दत्तक भरण पोषण अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधान पर अपना न्यायिक विवेक लगाकर युक्तियुक्त आदेश पारित करते चूॅकि कानूनन एक बार गोद जाने के पश्चात् प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के हक में अधिकार खत्म हो जाते है, इस प्रकार मोहरू के अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में अंकित खाता संख्या 41 व 42 में वर्णित सम्पत्ति में समाप्त हो गये, ऐसी स्थिति में मोहरू के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2015 एवं प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 129 वाके ग्राम बदनपुरा पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2014 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम बदनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त फरमाया जावे तथा वाद के अंतिम निर्णय तक मोहरू से सम्बन्धित विरासत नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी के खातेदार मोहरू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है, ऐसी स्थिति में खातेदार की मृत्यु होने पर तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 129 खातेदार के वारिसान के नाम से स्वीकार किया

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट लक्ष्मीनाराण के पिता कल्याण, स्व. रामकिशन उर्फ रामाकिशन का पुत्र है लेकिन वह जगन्नाथ के गोद चला गया है इसी कारण नामान्तरकरण संख्या 6 में जगन्नाथ की विरासत कल्याण को प्राप्त हुई है तथा रामाकिशन की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 10 की कार्यवाही के दौरान ग्राम पंचायत के समक्ष अपीलान्ट के पिता स्वयं कल्याण द्वारा दूसरी जगह गोद जाना ग्राम पंचायत को अवगत कराते हुए नामान्तरकरण संख्या 10 की पुस्त पर अपनी अंगूठा निशानी की है तथा पर्चा लगान अवधि बन्दोबस्त 01.07.1989 से 30.06.2009 में भी कल्याण के पिता का नाम जगन्नाथ अंकित है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की गई नामान्तरकरण संख्या 129 की कार्यवाही से अपीलान्ट के किसी प्रकार हक हकूक प्रभावित नही हुऐ है, अगर अपीलान्ट के कोई हक, अधिकार प्रभावित हो तो वे इस नामान्तरकरण की अपील के द्वारा तय नही करवा सकते, यह तो दावे में ही निर्धारित होगें क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है तथा विवादग्रस्त नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण है, इसमें तो केवल जो पूर्व की एन्ट्री है जो खातेदार की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा जारी तथाकथित स्थगन आदेश दिनांक 22.12.2014 को ही खारिज हो गया इसके बावजूद अपीलान्ट ने स्थगन आदेश प्रभावी होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर तहसीलदार सांगानेर द्वारा विरासत का नामान्तरकरण विधिवत तस्दीक किया गया होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिक प्रावधानों के अनुसार ही परीक्षण करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.15 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। रामाकिशन की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 10 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट के पिता कल्याण द्वारा दूसरी जगह गोद जाना अवगत कराते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 10 की पुस्त पर अपनी अंगूठा निशानी अंकित की है तथा नामान्तरकरण संख्या 6 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण के दादा एवं कल्याण के पिता का नाम जगन्नाथ अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता के रामाकिशन की विरासत में किसी प्रकार हक, अधिकार निहित नही है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।